2863 पुर्नविनियोग

संख्या– III(2)/06–29(बजट)/2005

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत ,
अनु सचिव,
उत्तराचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लो0नि0वि0,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून,दिनांक 06 फरवरी ,2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–2006 में एन.पी. वी. भूमि प्रतिकर ,क्षतिपुर्ति वृक्षारोपण ,भू–अर्जन एवं क्षति के प्रतिकर आदि कार्यों हेतु अनुदानान्तरर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तन द्वारा धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 4612/25 बजट(प्रतिकर)/2005–06 दिनांक 17.12.2005 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0 663/III–2/05–29 (बजट)/2005 दिनांक 25 मई,2005,संख्या–2626/III–2/05–29 (बजट) /2005 दिनांक– 28 नवम्बर ,2005 ,संख्या–2863/III(2)/05–29(बजट)/2005 दिनांक 21 दिसम्बर, 2005, सं0–1707/III–2/04–05 (प्रा.आ.) /2005 दिनांक 2 अगस्त,2005 एवं सं0–2638/III–2/05–70 (प्रा.आ.)/2005 दिनांक 29 नवम्बर,2005के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में एन.पी.वी. भूमि प्रतिकर के भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि के भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को देखते हुए संलग्न बी.एम. –15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से रू0 1230.98 लाख (रू0 बारह करोड तीस लाख अठानबे हजार मात्र) की धनराशि अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तित कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि में से कम से कम रू0 2.00 करोड की धनराशि मा0 न्यायालयों/मा0 लोकायुक्त से संबधित भूमि प्रतिकर/मुआवजों के प्रकरणों के भुगतान हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

3. व्यय उन्ही कार्यों पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रहा है।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में शेष सभी शर्तें शासनादेश सं0–2638/III–2/05–70(प्रा.आ.) /2005 दिनांक 29 नवम्बर,2005 तथा आंशिक संशोधन शासनादेश सं0–2717/III–2/05–70 (प्रा.आ.)/2005 दिनांक 6 दिसम्बर,2005 के अनुसार ही रहेगी ।

5. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक 5054 सडको एवं सेतुओ पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सडके–800–अन्य व्यय –05–सडक/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00––24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0– 220/ **XX V11/ (2)/2005** दिनांक 04 फरवरी,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः– यथोक्त ।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव

ख्या– 2863 (1)/ III(2)/06,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/ नैनीताल ।
3– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकरी ,उत्तरांचल ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल,देहरादून ।
6– मुख्य अभियन्ता ,गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/ अल्मोडा ।
7– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8– लोक निर्माण अनुभाग–1,उत्तरांचल शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से
(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

उत्तरांचल शासन,
वित्त अनुभाग–2
संख्या– 220/(1)/XXVII–2/06
देहरादून, दिनांक 9 फरवरी, 2006

पुर्नविनियोग स्वीकृत ।

(टी० एन० सिंह)
अपर सचिव।

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
उत्तरांचल,ओबराय भवन माजरा,
देहरादून ।

संख्या– 267 (1) /05–29 (बजट) /2005 दिनांक फरवरी ,2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
2. वित्त अनुभाग–2/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
3. गार्ड बुक ।

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

आय–व्ययक प्रपत्र–15 पुर्नविनियोग 2005–2006

(धनराशि हजार रूपयें में)

वित्त नियन्त्रक अधिकारी, मुख्य अभियन्ता स्तर–1,लोक निर्माण विभाग,प्रशासनिक विभाग,लोक निर्माण विभाग,उत्तरांचल शासन ।

अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण ।	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि हेतु अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशि हस्तान्तरित की जानी है।	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग केबाद स्तम्भ –1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
5054–सडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय(कमशः) 04–जिला तथा अन्य सडकें (आयोजनागत) 800–अन्य व्यय 03– राज्य सेक्टर 01– चालू निर्माण कार्य 24–वृहत्त निर्माण कार्य (आयोजनागत) कुल प्राविधान (अनुपूरक सहित) 3070000	1331569	1615333	123098(क)	5054–सडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04 – जिला तथा अन्य सडकें 800– अन्य व्यय 05– सडक/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00–24–वृहत्त निर्माण कार्य (आयोजनागत) स्थानान्तरित धनराशि 123098 (ख)	327198	2946902	(क) वि में उपर् न होने कारण (ख) अत लम्बित के विपरी प्राविधान न होने कारण ।
योग :– 3070000	1331569	1615333	123098	123098	327198	2946902	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग मे बजट के परिच्छेद 150–156 मे उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लघंन नही होता है।

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव (वित्त)

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव ।